

85-87
23-5-18

RCWS
#2

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

खातालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प चौहटन

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धारासर व भू.अ.नि. दोड
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चौहटन नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
की नमायन्दी सम्वत् 2078-73 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि के
अलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कोट्टे का तला	34	किशाना पुत्र गुमाना	किशनलाल पुत्र गुमानाराम
02	दर्जिया का तला	06	किशाना पुत्र गुमाना	किशनलाल पुत्र गुमानाराम
03	"	26	किशाना पुत्र गुमाना	किशनलाल पुत्र गुमानाराम



(SA)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर खाता रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(SA)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर